संख्या-4/2016/219/12-5-2016-सा-3/2016

प्रेषक,

मंजू लता सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः: दिनांकः: 31 मार्च, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण&03-कृषि प्रसार प्रयोजना एवं प्रदर्शनियॉ योजना के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प्रसार/1006/कृ0प्र0प्रा0/2015-16, दिनांक 29.12.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानक मद 05-स्था0 यात्रा भत्ता तथा मानक मद-44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय को वहन करने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल रू0 580 हजार (रू0 पॉच लाख अस्सी हजार मात्र) के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्निन नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि के देयक पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा।

4- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाय।

5- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

6- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-109 विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण&03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां-05-स्था0 यात्रा भत्ता तथा 44-प्रशिक्षण आदि पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

http://sasanadesh.up.nic.in

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रदत्त प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-219(1)/12-5-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निदेशक सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) तीन प्रतियों सहित।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in